प्राथमिकता स्पीड पोस्ट

अ0शा0प0सं-टी- 60 /दस-13/96.

नवीन भवन,

उ0प्र0 सचिवालय।

लखनऊः दिनांकः: 14 मार्च, 2014.

वित्तल,

वित्त एवं सचिव,

पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज

संस्थान।

प्रिय महोदय,

कृपया संस्थान के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-टी-154/दस-13/96 दिनांक 14 अगस्त, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुग्रह अनुदान एवं लड़की की शादी हेतु आर्थिक सहायता की दरों को पुनरीक्षित किया गया है, के सम्बन्ध में सूचित किया गया है।

इस सम्बन्ध में पुनः अवगत कराना है कि **उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान** अनुग्रह अनुदान एवं लड़की की शादी हेतु प्रदान की जाने वाली सहायता की दरों को निम्नानुसार दिनांक 19 जुलाई, 2013 से पुनरीक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

	दि0 15.06.12 से 18.07.13 तक के मामलों में (₹)	दि019.07.2013 से व उसके बाद के मामलों में (₹)
<u>अनुग्रह अनुदान</u> :-		
1- **वीरगति को प्राप्त मामलों में :**	4,00,000/-	6,00,000/-
2- **स्थायी रूप से अपंग घोषित मामलों में :** (अपंगता के आधार पर सेवानिवृत्त होने पर)	1,75,000/-	3,00,000/-

3- **लड़की की शादी हेतु प्रदान की जाने वाली सहायता की राशि ₹1,00,000/- से बढ़ाकर ₹1,50,000/- कर दी गयी है।**

नोट : अनुग्रह अनुदान के रूप में प्रदान की जाने वाली सहायता की राशि ₹6,00,000/- में से ₹2,00,000/- आश्रिता (पत्नी) को नकद भुगतान किया जायेगा और ₹2,00,000/- शहीद कर्मी के माता/पिता को नकद भुगतान किया जायेगा तथा शेष धनराशि ₹2,00,000/- की फिक्सड डिपाजिट रसीद तीन वर्ष की अवधि के लिये आश्रिता पत्नी के नाम से इस प्रतिबन्ध के साथ बनाकर दी जायेगी कि इस फिक्सड डिपाजिट रसीद में जमा धनराशि को तीन वर्ष के बाद ही निकाला जायेगा।

यदि शहीद कर्मी के माता/पिता जीवित नहीं हैं, तो धनराशि ₹4,00,000/- आश्रिता (पत्नी) को नकद भुगतान किया जायेगा तथा शेष धनराशि ₹2,00,000/- की फिक्सड डिपाजिट रसीद तीन वर्ष की अवधि के लिये आश्रिता पत्नी के नाम से इस प्रतिबन्ध के साथ बनाकर दी जायेगी कि इस फिक्सड डिपाजिट रसीद में जमा धनराशि को तीन वर्ष के बाद ही निकाला जायेगा। यदि कर्मी अविवाहित है तो धनराशि ₹6,00,000/- का नकद भुगतान उत्तराधिकारियों को किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि उ0प्र0 पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता की दरें दिनांक 19-07-2013 से पुनरीक्षित की गयी है। दिनांक 19-07-2013 से व उसके बाद के मामलों

में निर्धारित की गयी उपरोक्त प्रक्रिया लागू होगी। सम्प्रति संस्थान के द्वारा उपरोक्त मदों के अतिरिक्त अन्य किसी मद में सहायता प्रदान नहीं की जाती है। तद्नुसार प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु संबंधित कार्यालयों को निर्देशित/सूचित करने का कष्ट करें तथा साथ ही साथ संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता की लिखित जानकारी अपने विभाग के कर्मियों को भी प्राप्त करा दें, जिससे कि संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता की जानकारी हो जाये और इससे पात्र लोग लाभान्वित हो सके। संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता की दरों एवं अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया आदि का उल्लेख संस्थान की **वेबसाइट** **http://uppafss.up.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

3- संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता की समस्त योजनाओं का अद्यावधिक विवरण पुलिस/पी0ए0सी0 की **वेबसाइट** पर डलवाने का भी अनुरोध किया गया है। कृपया इस सम्बन्ध में की गयी कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र अवगत कराने का भी कष्ट करें क्योंकि संस्थान की प्रबन्ध समिति की बैठक महामहिम श्री राज्यपाल की अध्यक्षता में शीघ्र सम्भावित है।

सम्मान सहित,

भवदीय,

संलग्नक : संस्थान द्वारा निर्धारित प्रार्थना-पत्र

(मुकेश मित्तल)

श्री रंजन द्विवेदी,
पुलिस महानिदेशक,
पी0ए0सी0 मुख्यालय, उ0प्र0,
महानगर,
लखनऊ-226006.

उ0प्र0 पुलिस एवं आर्म्ड फ़ोर्सेज सहायता संस्थान,
कक्ष संख्या-55, नवीन भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ-226001.

अनुग्रह अनुदान हेतु आवेदन-पत्र

1- प्रार्थी का नाम --

2- शहीद कर्मी के माता एवं पिता का नाम --
(दि0 19-07-13 से निर्धारित की गयी प्रक्रिया के अनुसार)

3- आवेदन के दिनांक को आयु --

4- पूरा पता (स्थायी) --

5- आश्रितों की संख्या क्रमांक नाम सम्बन्ध आयु

6- प्रार्थी का कैज्युअल्टी से सम्बन्ध --

7- कैज्युअल्टी का नाम, नम्बर, रैंक तथा यूनिट का नाम -------------------------------
----

8- कैज्युअल्टी का दिनांक तथा स्थान --

(अ) प्रकृति (मृत्यु/स्थायी अपंगता) --

(ब) स्थायी अपंगता का प्रतिशत (प्रमाण-पत्र सहित) ----------------------------

(स) अपंगता के आधार पर सेवानिवृत्त होने की तिथि ---------------------------

9- संरक्षक का नाम व पूरा स्थायी पता ---

(अ) व्यवसाय/धन्धे का विवरण, यदि कोई हो --------------------------------------

(ब) मासिक आय ---

10- प्रार्थी द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन का पूर्ण विवरण (पेंशन मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ता आदि) --

11- क्या प्रार्थी को इससे पूर्व भी संस्थान या अन्य स्रोतों से कोई सहायता प्राप्त हुई है? यदि हॉं तो धनराशि, दिनांक, सहायता का उद्देश्य सूचित करें ----------------------

12- आवेदित सहायता धनराशि ₹--

दिनांक :

प्रार्थी के हस्ताक्षर

संस्तुतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय हेतु
(अभिलेख अधिकारी/महानिदेशक, पुलिस/पी0ए0सी0/अर्द्ध सैनिक बल)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ---------------------------- आश्रित -- नम्बर------------------------रैंक --------------- यूनिट का नाम -- का आवेदन-पत्र प्रथम बार संस्थान को ₹--------------------- (शब्दों में -------------------------------- मात्र) की सहायता हेतु संस्तुति सहित भेजा जा रहा है।

अग्रसारण अधिकारी का हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
मुहर

दिनांक :

उ0प्र0 पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान,
कक्ष संख्या-55, नवीन भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ-226001.
पुत्री की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र

1- प्रार्थी का नाम (स्पष्ट शब्दों में) --
2- आवेदन के दिनांक को आयु --
3- पूरा पता (स्थायी) --

4- आश्रितों की संख्या क्रमांक नाम सम्बन्ध आयु

5- प्रार्थी का कैज्युअल्टी से सम्बन्ध --
6- कैज्युअल्टी का नाम, नम्बर, रैंक तथा यूनिट का नाम --

7- कैज्युअल्टी का दिनांक तथा स्थान --
(अ) प्रकृति (मृत्यु/स्थायी अपंगता) --
(ब) स्थायी अपंगता का प्रतिशत (प्रमाण-पत्र सहित) --
(स) अपंगता के आधार पर सेवानिवृत्त हेने की तिथि --
8- संरक्षक का नाम व पूरा स्थायी पता --

(अ) व्यवसाय/धन्धे का विवरण, यदि कोई हो --
(ब) मासिक आय --
9- यदि प्रार्थी द्वारा कोई मिल्ट्री/सिविल पेंशन प्राप्त की जा रही हो तो उसका विवरण

10- •जिस पुत्री की शादी होना है, उसका नाम --
11- जन्म तिथि (प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति अवश्य संलग्न करें) --
12- शादी की तिथि --
13- क्या प्रार्थी को उसकी उक्त पुत्री की शादी हेतु उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि या अ... कहीं से कोई सहायता मॉगी/स्वीकृत की गयी है, यदि हॉ तो उसका उल्लेख क...

14- कितनी धनराशि की आवश्यकता है ₹--

दिनांक :

प्रार्थी के हस्ताक्षर

नोटः- अपूर्ण आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। प्रार्थना-पत्र संबंधित अभिले... अधिकारी/पुलिस/पी0ए0सी0 एवं अर्द्ध सैनिक बल के महानिदेशक के माध्यम से उन... संस्तुति सहित शादी की तिथि से कम से कम दो माह पूर्व भेजे जाए।

15- संबंधित अभिलेख अधिकारी/पुलिस/पी0ए0सी0 एवं अर्द्ध सैनिक बल के महानिदे... की संस्तुति, हस्ताक्षर व मुहर सहित।